Bhubaneswar will help in establishment of a large number of ancillary and downstream electronic units around it and help growth of industrialisation in the nuclecus industrial complex in Chandakar area.

In view of this, I request the Government of India to make all possible efforts to expedite the implementation of the proposal so that the Electronic Telephone Industry is set up at Bhubaneswar before the end of the Sixth Five Year Plan.

13.25 hrs.

PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (TEMPORARY SUPERSESSION) SECOND AMENDMENT BILL

As passed by Rajya Sabha

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Second Amendment Bill.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) : I beg to move :

> "That the Bill further to amend the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Act, 1978, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

I would like briefly to relate the circumstances in which I had to come up with this proposal to this House. As you know, Sir, the Panchayat Raj institution is a subject in the State list of the Seventh Schedule to the Constitution. It is the state legislature which enacts the necessary laws for the establishment and functioning of the different tiers of the panchayati raj institution in the State. This is what has taken place in Punjab too. Thus in August 1978, elections to the gram panchayats, were held by the State Government. Unfortunately the subsequent process, that is, election to the Panchayat Samitis and Zila Parishads, could not be completed on account of exceptionally difficult circumstances. The State legislature had, therefore, to enact a law entitled the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Act, 1978 in order to supersede the then panchayat Samitis and zila parishads.

The one year period of supersession, originally provided for in this law, had to be extended from time to time, in view of the fact that the State Government was examining the restructuring of the panchayati raj set up in the State. Several other contingencies also necessitated further postponement of these elections.

The State Government was very keen to see all the tiers of the panchayati raj system duly elected and take their rightful place in the rural society of Punjab. With that objective in view, the gram panchayat elections were conducted in September, 1983 on expiry of the five-year term of the gram panchayats elected in August, 1978. It was expected that this would be followed by elections to the panchayat samitis and zila parishads. But in order to take this follow-up measure, it was necessary first to complete all the formalities associated with the election of the gram panchayats. Thus the oath-taking by panchas and sarpanchas as well as co-option of panchas had to be completed for every gram panchayat before effective measures for election to the panchayat samitis and zila parishads could be taken. As you know, Sir, under the principal law, 16 members for each panchayat Samiti are to be elected from amongst the elected panchas of the gram panchayats falling within the jurisdiction of the samiti. Two members representing the co-operative societies and one member representing the marketing committee were also to be elected in order to constitute the Panchayat Samiti. These members would have elected from amongst themselves four representatives to the Zila Parishad from each Panchayat Samiti. One of these four members has to be from the scheduled castes. In addition, there is provision for co-option of four women members and two members from the backward classes, should the requisite number be not elected by the panchayat samitis.

According to the schedule drawn up by the State Government, it was contemplated that all formalities required for the holding of elections to the panchayat samitis would be completed by November 3, 1983. But since the period of supersession of the Panchayat Samitis and the Zila Parishads was going to expire before that date on the 11th October, 1983, an ordinance had to be promulgated to extend the period of supersession for another six months beginning from October 12, 1983. This period was intended to enable the State Government to complete the elections to the panchayat samitis and zila parishads.

Sir, I need not relate here the circumstances in which President's rule had to be promulgated in the State necessitating the supersession of the State Legislative Assembly. Therefore, an ordinance had to be promulgated by the Governor of Punjab, with the approval of the Government of India, extending the period of supersessions of the Panchayat Samitis and Zila Parishads for a period of six months beyond October 11, 1983. Since the promulgation of the Ordinance, the formalities required to be observed after the election of gram panchayats have been completed. But it is considered that the condition in the State, as obtaining now, may not permit a free and fair election to the panchayat samitis and zila parishads. We have, therefore, been compelled to seek further extension of the period of supersession of the panchayat samitis and zila parishads for a period of six years beginning from the 12th October 1978. It is our earnest hope that conditions in the State would soon return to normal, so as to enable the elected panchayat bodies to come back to their own and function normally. I would, therefore, commend the Bill to your most sympathetic consideration and to approve it unanimously.

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

> "That the Bill further to amend the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Act, 1978, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Digamber Singh.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं और अनुभव करता हूं कि उन्होंने जो बिल रखा है वह उनकी भावनाओं के विपरीत है। वह इस बात को पसन्द नहीं करेंगे कि गांव के लोगों को और जनता को अधिकार न मिलें, शक्ति का विकेन्द्रीकरण न हो। मैं अनुभव कर रहा हूं यहां की कुर्सी ऐसी होती है कि इस पर बैठ कर आदमी वह बात नहीं कर पाता जो न्याय समझता है। वह करता है जिससे उसकी कुर्सी बनी रहे। पहले भी महाभारत के समय भीष्मपितामह और द्रोणाचार्य ठीक नहीं समझते थे कि द्रोपदी का चीर खींचा जाय। लेकिन चूंकि दुर्योधन की कुर्सी के साथ बैठे हुए थे उनकी यह हिम्मत नहीं हुई, वह तो जुए में भी नहीं हारे थे जब कि पाण्डव हार चुके थे, कि वह कहते ऐसा क्यों हो रहा है।

हमारे पूजनीय नेता महात्मा गांधी जिन्होंने यह कहा था कि मेरे टुकड़े हो जाएं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। उन्हीं नेता के शिष्य पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल क्लाम आजाद, उन तीनों ने कुर्सी पर बैठ कर बिना गांधी जी की इच्छा के पाकिस्तान स्वीकार कर लिया।

हालत हमारी वह हो जाती है जैसे फिल्म कम्पनी का कोई डायरेक्टर ऐक्टिंग करने के लिये कहता है तो ऐक्टर समझता है कि मैं ड्रिन्क नहीं कर सकता, वैश्याओं के पास नहीं जा सकता, लेकिन ऐक्टिग के लिये उसे सब करना पड़ता है। इसीलिए कुर्सी ऐसी होती है जिसकी खातिर करना पड़ता है।

मैं गांव का प्रधान रह चुका हूं पंचायत का। शुरू-शुरू में जब पंचायतें बनीं तो जो पंचायत गांधी जी चाहते थे वह तो कानून

नहीं बनीं और जो कानून बन गई हैं उन्हें भी लोग बदलते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पंचायतों के चुनाव टालने की क्या आवश्यकता है ? जब और बातों के लिये बेकार साबित हो रहे हैं तो गांवों के चुनाव क्यों नहीं कराते ?

कारण राजनीतिक हैं। जनभावना जब खिलाफ होती है और दिखाई देता है कि अपने लोग नहीं जीतेंगे तो सोचते हैं कि लोगों के अधिकारों को टाल दिया जाय।

समझते हैं कि अगर चुनाव होंगे, जिला परिषदें बनेंगी तो उनमें वह लोग नहीं आयेंगे जो सरकार के पक्ष में हैं, इसलिये उन्हें टाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। मुख्यमन्त्री ने आवेश में आकर प्रमुखों के चुनाव कराये, लेकिन जब उन्हें यह दिखाई दिया कि जिला परिषद में खतरा हो सकता है सरकार की पार्टी के लोग नहीं आ पायेंगे तो उसको उन्होंने टाल दिया। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि हम पीछे की तरफ न जायें, गांधी जी का जो सिद्धान्त है विकेन्द्रीकरण का, उसको आगे की तरफ बढ़ायें। इसलिये आप पंचायत के चुनाव कराइयें, उन्हें होने दीजिये, टालने की कोशिश क्यों करते हैं ?

जो लोग वहां दूसरे वातावरण में फंसे हुए हैं, जो राजनीतिक उद्देश्य से आन्दोलन कर रहे हैं, मेरा अपना अनुभव यह है क्योंकि मैं भी सन् 1952 से चुनाव लड़ता आ रहा हूं, जहां लोग यह देखते हैं कि इस गांव का एक भी वोट नहीं मिलेगा तो लड़ाई करा देते हैं, तो दूसरी पार्टी वोट दे देती है। इसी तरह से मैं समझता हूं कि पंजाब के वोटों का बंटवारा करके, एक तरफ हिन्दू और एक तरफ सरदार, उनमें झगड़ा होगा तो एक के वोट मिल जायेंगे, उसको चलने दीजिये। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन राजनीति में रा नीतिक उद्देश्य से कोई भी चीज जायज मानी जाती है।

अभी नहीं, महाभारत में युधिष्ठर जोकि ईमानदार थे, उनकी पूजा नहीं होती, कृष्ण की पूजा होती है, जिन्होंने पांच महारथियों को बेईमानी से मरवा दिया। राजा रामचन्द्रजी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जिन्होंने बाली को धोखा देकर मारा, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, सीता को निकाल दिया। लक्ष्मण, जिनको कहते हैं कि परम भक्त थे, उन्होंने जंगल में जाने वाली सीता का साथ नहीं दिया, बल्कि कुर्सी पर बैठने वाले राम का साथ दिया तो ये पुरानी बातें हैं।

मुमकिन है मैं भी कुर्सी पर होता, मैं भी 3 बार कांग्रेस का प्रतिनिधि रहा हूं, तो मैं भी उसी भाषा में बोलता जिसमें मंत्री जी बोलते हैं। लेकिन मैं यह इसीलिए कह रहा हूं कि जो कुर्सी से हटता है, वही ठीक बात कहता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कुर्सी रहे या न रहे, लेकिन इतिहास हमेशा साथ रहता है। आप जैसे विचारवान व्यक्ति, जिनके बारे में समझा जाता है कि विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती हैं, आप महात्मा गांधी के परम भक्त हैं, आप गांधी जी की भावना का विरोध न करें। जिसकी वजह से कुर्सी है, भले ही उसका विरोध करें, लेकिन कहें कि मैं विधेयक को वापिस लेता हूं, मैं गांधी जी की भावना का समर्थन करते हुए चुनाव कराता हूं।

कई बार इसके संशोधन हो चुके हैं, गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि अध्यादेश लाया जाये। वे प्रजातंत्र चाहते थे, लेकिन हमारे यहां एक के बाद एक अध्यादेश लाये जाते हैं। पार्लियामेंट के लिये अगर आप चाहें तो कुछ कर लें, उसके लिए कोई सिस्टम बना लें, लेकिन बेचारे प्रधानों का काम होने दीजिए।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जहां आन्दोलन हो रहा है, वहां चुनावों की वजह से ध्यान बंट जायेगा और जनता चुनाव में लग जायेगी और इस तरह से आपस में जो मारकाट हो रही है, वह भी कम हो जायेगी क्योंकि स्थानीय चुनाव महत्वपूर्ण हो जाने से लोग उसमें लग जायेंगे।

माफ करें, एक साधारण बात है कि प्रधान मन्त्री कौन बने, मन्त्री कौन बने, संसद् सदस्य कौन बने। यह एक असाधारण बात है कि जनता का हित कैसे होगा, देश की तरक्की कैसे होगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं तो यही समझता हूं कि जहां शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है, शक्ति एकत्रित की जा रही है, वैसे ही पंजाब का हो रहा है। आप देखें कि आज हरामखोर मजा कर रहे हैं, मेहनत करने वाले, दुख पा रहे हैं। जो अनाज, दूध पैदा करता है, वह खा नहीं पाता, जो महलों को बनाते हैं, वह झुग्गी में रहते हैं, जो शराब पीते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जासूसी करते हैं, देश को बर्बाद करते हैं वह महलों में रहते हैं।

हम देखते हैं कि सरकार उन कामों में विलम्ब करती है, जो जनता के हित में हैं। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, क्योंकि इसका वर्तमान विषय से सम्बन्ध नहीं है, प्रधान मंत्री, मंत्रियों और संसद् सदस्यों के चाहने पर भी साढ़े तीन बरस से लैंड एक्वीजीशन बिल नहीं लाया जा रहा है, जो कि किसानों के हित में है। जो काम जनता के हित में है, वह नहीं किया जा रहा है।

मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह यह बिल पास कराने के बजाए पंजाब में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराएं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा करने से वहां की मार-काट में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि वह घट जाएगी और स्थिति में सुधार होगा। सरदार और हिन्दू मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक-दूसरे का समर्थन करेंगे।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कम-से-कम स्वयं इस विधेयक को पास न कराएं और इसको वापस ले लें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी सिद्धांत और आदर्श की जो बात कही है, वह तो बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और उनके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है। लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि आज पंजाब में क्या स्थिति है। जहां आग लगी हो, वहां चुनाव कैसे? हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि अध्यादेश भी लागू किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में, जबकि आदमी के लिए सुरक्षा नहीं है, अगर चुनाव कराए जाते, तो उधर के सदस्यों की तरफ से इसकी आलोचना की जाती। मुझे आशा है कि जिस परिस्थिति में मंत्री महोदय ने यह विधेयक रखा है, उसको दृष्टि में रखते हुए माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे और इसमें कोई अड़चन पैदा नहीं करेंगे।

लेकिन मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल पंचायतों और जिला परिषदों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। ये लोकतांत्रिक इकाइयां लोकतंत्र का आधार हैं। थ्री-टायर सिस्टम के अन्तर्गत कई जगह पंचायतों के चुनाव नहीं होते हैं। 16-30 सितम्बर के योजना में लिखा है:—

> "Panchayats are ritually bound by the string of bureaucratic regulations. It is logical that these should be given more freedom. Panchayats being at the mercy of the Government Departments can hardly deliver the goods. Making Panchayats more autonomous is the

need of the hour. The members and the President being local residents can fairly make out the needs and requirements provided they enjoy the necessary discretionary powers."

पंचायतों के बारे में जो स्वप्न बलवन्तराय मेहता ने देखा था, वह साकार नहीं हुआ है। आज गांवों में सरपंच का कोई आदर-सम्मान नहीं होता है। पंचायतों की आर्थिक हालत बहुत खराब है। हमारा लोकतन्त्र इन्हीं संस्थाओं पर टिका हुआ है। अगर वे ठीक तरह से नहीं चलीं, तो हमारा लोकतन्त्र भी ठीक तरह से नहीं चल पाएगा। मन्त्री महोदय गाइडलाइन्स दें कि पंचायतों में कैसे नई जान फूंकी जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारी आत्मा गांवों में रहती है और ग्राम पंचायत हमारे लोकतंत्र का आधार है।

कई जगह पंचायतों के चुनाव नहीं होते, कई जगह जिला परिषदें नहीं हैं, पंचायत समितियां नहीं हैं और सरकारी कर्मचारी वहां हावी हो गए हैं, नौकरशाही हावी हो गई है। पंचायतें आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं हैं। यद्यपि आज के बिल का यह विषय नहीं है, यह मैं मानता हूं लेकिन पंचायतों का जो स्वप्न हमने देखा था वह पूरा नहीं हो रहा है और इसीलिए हमारी जो योजनाएं हैं वह भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। योजनायें पंचायत लेविल पर ही बनाई जानी चाहिएं लेकिन हम देखते हैं कि आज पंचायतें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। गरीबों को वहां कोई पूछता नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं तब अपने को भाग्यशाली समझूंगा जबकि कोई हरिजन महिला इस देश के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगी। आज आप पंचायतों का एक दूसरा स्वप्न देख रहे हैं। जिस स्थिति में आप यह विधेयक यहां पर लाए हैं उसका मैं समर्थन करता हूं और जो आदर्श की बातें उधर से कही गई हैं वह भी ठीक हैं लेकिन वह इस बिल पर लागू नहीं होतीं। इसलिए इस बिल को पारित किया जाना चाहिए।

श्री हरिनाथ मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही वक्ता मेरे निकट के मित्र हैं। मैंने उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना है। जब मैं वहां पर बैठा करता था, जहां पर आप बैठे हैं, तो अकसर मैं मजाक में अपने मित्र डागा जी से कहा करता था कि आप बहस तो किसी की तरफ से करते हैं और जब वोट देना होता है तब उसका उल्टा करते हैं। हन्ट विद दि हाउन्ड एण्ड रन विद दि हेयर।

(व्यवधान)

किन्तु मैं देख रहा हूं कि उन्होंने जो विचार यहां पर प्रकट किए, वह किसी पार्टी की तरफ से नहीं, पार्टियों से ऊपर उठकर प्रकट किए हैं।

दिगम्बर सिंह जी से मेरा परिचय यद्यपि कुछ ही महीनों से हुआ है, परन्तु दरअसल विचारों से वे हमारे साथ ही हैं, बैठे चाहे जहां हों। उन्होंने कहा कि पंचायतों के चुनाव जल्द-से-जल्द होने चाहिए। हमने इस बात का प्रयास किया है कि पंजाब में जो हमारे ग्रास रूट्स के डेमोक्रैटिक इन्स्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा शीघ्र काम आरम्भ हो सके। मैं अधिक समय न लेकर इतना ही बतलाना चाहता हूं कि 1978 में पंजाब में कांग्रेस (आई) की सरकार नहीं थी।

अकाली और जनता दोनों को मिलाकर सरकार चलाई जाती थी। उस सरकार ने भी अगस्त, 1978 में ग्राम पंचायतों के चुनाव करा दिये। उनके सामने दिक्कतें और परेशानियां आईं मैं यहां बैठकर उनकी आलोचना नहीं करना चाहता

हूं, क्योंकि ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का चुनाव कराना और उनको कार्यरत करना व उनसे काम लेना यह राज्य सरकार को ही जवाबदेही है। इस तरह से ग्राम पंचायतों का चुनाव करा लेने के बाद वह जो क्रिया थी, वह रोक दी गई, जिससे कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों का चुनाव नहीं हो सका। यहां तक कि उस समय जो पंचायत समितियां और जिला परिषदें थीं, उनको भी सुपरसीड कर दिया गया। इसको कार्यान्वयन करने के लिए उस समय एक विधेयक पारित किया गया। पंजाब प्रांत में 11 हजार गांव और ग्राम पंचायतें हैं, जिनका चुनाव पांच साल के लिए होता है। जब तक वह सरकार रही, यही क्रिया चालू हुई और उस स्थिति को अन्त तक रखा गया। यह बात ठीक है कि कांग्रेस (आई) की सरकार जिसका नेतृत्व सरदार दरबारा सिंह जी कर रहे थे, वह 1980 में आई। लेकिन भूतपूर्व सरकार द्वारा जो चुनाव करा दिए गए थे, जिसकी अवधि पांच साल थी, उन को पांच साल के लिए रहने दिया और उनको अपना काम करने दिया। वह अवधि अगस्त, 1983 में समाप्त हुई। सरदार दरबारा सिंह की सरकार ने सितम्बर, 1983 में वे चुनाव करवा दिए। लेकिन पंजाब में जो ला-एंड-आर्डर की स्थिति रही है, उसका मैं विशेष वर्णन नहीं करना चाहता हूं।

राष्ट्रपति शासन वहां लागू हुआ, श्री बी. डी. पांडे के नेतृत्व में गवर्नर इन काउन्सिल ने सिफारिश किया कि हम अभी जैसी स्थिति में हैं, उसमें पंचायत समितियों का और जिला परिषदों के चुनाव नहीं करा सकते हैं इसलिए इसे स्थगित रखा जाए। यद्यपि वहां छ: साल पहले 1978 में यह कानून पास हुआ था। लेकिन छ: साल का मतलब होता है 11 अक्टूबर 1984 तक, मुश्किल से साढ़े नौ महीने बाकी रहे हैं। इस अवस्था में भी अगर स्थिति साधारण हो गई, जिसमें कि एक अनुकूल वातावरण में समितियों के, जिला परिषदों के चुनाव हो सके, तो हम यह अवश्य मानते हैं कि वहां के गवर्नर एक एबल डिस्टिंग-विशड सिविल सरवेंट और कनसेनटियस सिविल सरवेंट ही नहीं हैं, बल्कि एक जनटलमैन हैं।

उनके परामर्शदाता भी एक-से-एक चुने हुए हैं, वे जरूर ही केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश करेंगे और केन्द्रीय सरकार को इसमें अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि उनके विचारों से सहमत होकर वहां जो प्रक्रिया बाकी है उसे पूरा करा है ताकि वहां ग्रास-रूट लेवल की डेमोक्रेटिक इंस्टीचूशन्ज बन जाय और कार्यरत हो जाय। अगर इस बीच में जनप्रिय सरकार आ सकी तो वह जरूर यह चाहेगी कि इस तरह के चुनाव करा दिये जायें ताकि यह सिलसिला जारी हो सके।

अब एक बात रह गई है—डागा जी स्वयं ही प्रश्न करते हैं, सुझाव भी देते हैं और उत्तर भी देते हैं। यह अवसर नहीं है कि हम समस्त देश में ग्राम पंचायतों की कैसी अवस्था है आदि मुद्दों को छेड़ें। अभी तो पंजाब के बारे में यह विचाराधीन प्रश्न है इसलिये मैं अभी उसका उत्तर देना नहीं चाहता हूं मैं समझता हूं जैसा मैंने निवेदन किया था आप इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That the Bill further to amend the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Supersession) Acts, 1978, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration "

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House

will now take up clause by clause consideration. The question is :

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI HARINATHA MISRA : I beg to move :

"That the Bill be passed".

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

13.58 hrs.

PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS (OBLIGATIONS AS TO FIDELITY AND SECRECY) BILL

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up the Public Financial Institutions (Obligations as to Fidelity and Secrecy) Bill for which two hours have been allotted.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : I beg to move :

"That the Bill to provide for the obligation of public financial institutions as to fidelity and secrecy, be taken into consideration."

13.59 hrs.

[SHRI R. S. SPARROW *in the Chair*]

As the Hon. Members are aware, obligation as to maintenance of fidelity and secrecy was for the first time, placed on a statutory basis by the State Bank of India Act, 1955. Later, such provision was also incorporated in the State Bank (Subsidiary Banks) Acts, 1959 and the two Bank Nationalisation Acts of 1970 and 1980. Thus in so far as the public sector banks are concerned, they are enjoined by the respective statutes governing them to maintain secrecy in respect of information relating to the affairs of their constituents except when such information is required in accordance with law or in conformity with the practices and usages customary among bankers. Some of the other enactments, governing public financial institutions, like the Industrial Development Bank of India, the Export Import Bank of India and the National Bank for Agriculture and Rural Development also contain provisions enjoining these institutions to maintain secrecy in regard to the affairs of their individual constituents. On the other hand, public financial institutions like the Industrial Credit and Investment Corporation of India and the Industrial Reconstruction Corporation of India are not required to maintain secrecy in regard to the affairs of their constituents. Thus, there is a manifest dichotomy in regard to maintenance of secrecy by various public financial institutions. The Bill seeks to remove this dichotomy.

Basically, the need to maintain secrecy in regard to the affairs of the individual constituents arises out of the special contractual relationship between the banking institutions and its borrowing clients.

14.00 hrs.

This need has been universally accepted. The institutions also have a moral responsibility to ensure that they do not divulge any sensitive information which might in any way jeopardise the credit worthiness of their borrowing constituents. The institutions should be especially careful in regard to the affairs of sick units assisted by them as disclosure of any sensitive information relating to these units could prevent competent technical and managerial personnel from being attracted to the service of the unit besides adversely affecting its market.